F.No. CD-11012/01/2022-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 12th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of September, 2022.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of September, 2022 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar
(Prashant Kumar)
Section Officer (Coordination)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of September, 2022.

1. **Award and Construction of National Highways**: The Ministry has constructed 3,559 KMs of National Highways upto September in 2022-23 as compared to 3,824 KMs constructed upto September in 2021-22. The award figure is 4,092 KMs during this period as compared to 4,609 KMs during this period in previous year.

2. **Facilitation in availing transport related services using Aadhar** : MoRTH has issued Notification No. S.O.4353(E) on 16 September 2022, through which a total of 58 citizen-centric services related to driving license, conductor license, vehicle registration. Permit, transfer of ownership etc. can be now availed completely online, eliminating the need to visit RTO. These services can be availed with the help of Aadhaar authentication, on voluntary basis. Providing such services in a contactless and faceless manner would go a long way in saving critical time of citizens while easing their compliance burden.

3. **Trade Certificate regime**: In an endeavor to promote Ease of Doing Business, MoRTH has notified new rules to simplify and streamline the Trade Certificate regime. Due to certain anomalies in the existing rules, the applicability of Trade Certificate was open to interpretation in many cases, leading to harassment of many business establishments. Moreover, the application for a trade certificate was required to be filed physically at the RTO which was a time-consuming process.

4. **Movement of Non-Transport (Personal) foreign vehicles in India:** The Ministry of Road Transport and Highways has issued the Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022. These rules formalize the movement of Non-Transport (Personal) vehicles registered in other countries when entering or plying in the territory of India.

5. **Safety Standards for Battery and related components of Electric Vehicles:** MoRTH has approved Amendment 3 to both AIS 156 and AIS 038 (Rev.2). AIS 156 is regarding specific requirements for L category [motor vehicles with less than four wheels, quadricyle] vehicles with electric power train and AIS 038 (Rev.2) is regarding safety requirements with respect to the electric power train of M [motor vehicles with at least four wheels used for carrying passengers] and N [motor vehicle with at least four wheels used for carrying goods] category vehicles. Ministry has notified the

applicability of these amendments in two phases from 1st December, 2022 and 31st March, 2023 to enable industry to set up necessary facilities.

6. <u>Hydrogen as an IC Engine Fuel in BS IV vehicles</u>: This Ministry vide draft Notification No.GSR 683(E) dated 6th September, 2022 has notified the use of Hydrogen as an IC Engine Fuel in BS IV vehicles with Gross Vehicle Weight greater than 3.5 tonnes. Earlier, GSR 889(E) dated 16th Sept 2016 was notified to introduce Hydrogen as a Fuel for Vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3.5 tonnes. Comments and suggestions have been invited from stakeholders within period of thirty days.

7. **<u>Rules regarding side/side torso air bags side curtain/tube air bags</u>:** Ministry of Road Transport and Highways, vide notification dated 30th September, 2022, has proposed to introduce the provision for fitment of side/side torso airbags and side curtain/tube airbags in M1 category vehicles. The implementation of the said rule is proposed to be from 01st October, 2023 instead of 01st October, 2022. Comments and suggestions have been invited from the stakeholders within the period of thirty days.

8. <u>Mandatory Training Programme on preparation of Detailed Project Report (DPR) for Highway Projects for the Personnel of Consultants</u>: In order to ensure the capacity building and improvement in quality of work done by personnel of Consultants, Contractors. IEs and AEs in highways construction; the technical knowledge of personnel employed with private firms needs to be regularly updated. As such, to enrich personnel from private sector, this Ministry decided that the personnel engaged by consultancy firm for preparation of DPRs have to undergo a mandatory training course on "Preparation of Feasibility Study and DPR for Highway Projects" conducted by Indian Academy of Highway Engineers (IAHE).IAHE has successfully conducted the First Training Programme for the personnel of consultant from 5th to 10th September, 2022 at IAHE campus in NOIDA.

9. <u>Signing of MoU between National Highways Logistics Management Limited (NHLML) & JNPT for development of Multi Model Logistics Park at Jalna in Maharashtra</u> : National Highways Logistics Management Limited (NHLML) and JNPT signed an MoU on 21.09.2022 for development of Multi Model Logistics Park (MMLP) at Jalna in Maharashtra. Jalna MMLPwill serve as a functional Dry port of the region and Steel & Allied industries depending on scrap, fruits and vegetables processing unit. Seed industries and cotton sector would hugely bene fit from this development.

10. <u>Standing Finance Committee (SFC) meetings</u>: In the month of September,2022, twenty projects of length 797 KMs and total cost of Rs. 19,704 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

11. <u>Inauguration and laying foundation stone of 7 NH projects worth Rs 1,128 Crore in Gwalior, Madhya Pradesh and 8 National Highways Projects worth Rs.3,000 crore in Rajamahendravaram, Andhra Pradesh</u> : Hon'ble Minister for Road Transport and Highways has inaugurated and laid foundation stone of seven National Highways project worth Rs. 1,128 Crore in Gwalior, Madhya Pradesh. These projects will facilitate traffic through bypass construction in Mihona, Lahar, Daboh and Bhander and will improve the connectivity among Rajashthan , Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Hon'ble Minister for Road Transport & Highways also laid foundation stone for 8 National Highways projects worth Rs. 3,000 Crore in Rajamahendravaram, Andhra Pradesh. These projects will provide green field road connectivity to Kakinadsa SEA, SEZ Port, Fishing Harbour and Kakinada Anchorage Port. The road projects include construction of 5 flyovers at Kaikaram, Morampudi, Undarajavaram, Tetali & Jonnada.

*****

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषयः मंत्रिमंडल के लिए सितंबर, 2022 माह का मासिक सारांश।

1. **राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण:** मंत्रालय ने 2021-22 में सितंबर तक निर्मित 3,824 किलोमीटर की तुलना में 2022-23 में सितंबर तक 3,559 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 4,092 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 4,609 किलोमीटर था।

2. **आधार का उपयोग कर परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा** : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ..4353 (अ) जारी की है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित कुल 58 नागरिक केंद्रित सेवाओं का अब आरटीओ जाए बगैर पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है। स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस तरीके से ऐसी सेवाएं प्रदान करने से नागरिकों के महत्वपूर्ण समय को बचाने के साथ-साथ उनके अनुपालन के बोझ को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

3. **व्यापार प्रमाणपत्र व्यवस्था**: व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के प्रयास में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने व्यापार प्रमाणपत्र व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। मौजूदा नियमों में कुछ विसंगतियों के कारण कई मामलों में व्यापार प्रमाणपत्र की प्रयोज्यता व्याख्या की गई थी, जिससे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परेशानी हुई थी। इसके अलावा, व्यापार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को आरटीओ में जाकर भरना आवश्यक था, जिसमें काफी समय लगता था।

4. **भारत में गैर-परिवहन (निजी) विदेशी वाहनों की आवाजाही**: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत आने वाले गैर परिवहन वाहनों के लिए मोटर यान नियमावली, 2022 जारी की है। ये नियम भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलाते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (निजी) वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करते हैं।

5. **बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंधित घटकों के लिए सुरक्षा मानक**: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आईएएस 156 और आईएएस 038 (संशो.2) दोनों में संशोधन 3 को मंजूरी

दी है। एआईएस 156 एल श्रेणी [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहनों, क्वाड्रिसाइल] के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाले वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में है और एआईएस 038 (संशो.2) एम [यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहिये वाले मोटर वाहन] और एन [माल ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन] की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन श्रेणी के वाहनों के संबंध में सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में है। मंत्रालय ने उद्योग को आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए 1 दिसंबर, 2022 और 31 मार्च, 2023 से दो चरणों में इन संशोधनों की प्रयोज्यता को अधिसूचित किया है।

<u>6. बीएस IV वाहनों में एक आईसी इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन</u>: इस मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2022 के मसौदा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 683 (अ) के माध्यम से 3.5 टन से अधिक सकल वाहन भार के साथ बीएस IV वाहनों में आईसी इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को अधिसूचित किया है। इससे पहले, सा.का.नि. 889 (अ) दिनांकित 16 सितंबर 2016 को 3.5 टन से कम या उसके बराबर सकल वाहन भार वाले वाहनों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पेश करने के लिए अधिसूचित किया गया था। तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

<u>7. साइड/साइड टोरसो एयर बैग्स, साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स के संबंध में नियम</u>: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के तहत एम1 श्रेणी के वाहनों में साइड/साइड टोरसो एयरबैग्स और साइड कर्टेन/ ट्यूब एयरबैग्स को लगाने के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। उक्त नियम का कार्यान्वयन 01 अक्टूबर, 2022 के बजाय 01 अक्टूबर, 2023 से करने का प्रस्ताव किया गया है। तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

<u>8. परामर्शदाताओं के कर्मियों के लिए राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>: परामर्शदाताओं, ठेकेदारों के कर्मियों द्वारा किए गए कार्य की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। राजमार्ग निर्माण में आई और एई; निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के तकनीकी ज्ञान को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, निजी क्षेत्र के कर्मियों को समृद्ध करने के लिए, इस मंत्रालय ने निर्णय लिया कि परामर्शी कंपनियों द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए तैनात किए गए कर्मियों को भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) द्वारा आयोजित "राजमार्ग परियोजनाओं का

व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर की तैयारी" पर एक अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। आईएएचई ने नोएडा के आईएएचई परिसर में 5 से 10 सितंबर, 2022 तक परामर्शदाता के कर्मियों के लिए पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया है।

9. महाराष्ट्र के जालना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और जेएनपीटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और जेएनपीटी ने महाराष्ट्र के जालना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के विकास के लिए 21.09.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जालना एमएमएलपी स्क्रैप, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण इकाई के आधार पर क्षेत्र और इस्पात तथा संबद्ध उद्योगों के संचालित ड्राई पोर्ट के रूप में काम करेगा। इस विकास से बीज उद्योग और कपास क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा।

10. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें: सितंबर, 2022 के महीने में, 797 किलोमीटर लंबाई और 19,704 करोड़ रु. की कुल लागत वाली बीस परियोजनाओं का एसएफसी द्वारा मूल्यांकन किया गया था और उनके अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

11. ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 1,128 करोड़ रुपये की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और राजामहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपये की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास : माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 1,128 करोड़ रुपये की सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखी गई। इन परियोजनाओं से मिहोना, लहर, दबोह और भंदेर में बाईपास निर्माण के माध्यम से यातायात की सुविधा होगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्कता में सुधार होगा। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में भी 3,000 करोड़ रु. लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। ये परियोजनाएं काकीनाडसा एसईए, एसईजेड पोर्ट, फिशिंग हार्बर और काकीनाडा एंकोरेज पोर्ट को ग्रीन फील्ड सड़क संपर्कता प्रदान करेंगी। सड़क परियोजनाओं में कैकरम, मोरम्पुडी, अंडरराजावरम, तेताली और जोन्नाडा में 5 फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।

*****